संख्याः 311903/71892/FCD-IRFC/FSFC/5/2025

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 10 जुलाई, 2025

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2025) की धनराशि संक्रमित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2025) हेतु निम्न तालिका के कॉलम–3 में अंकित कुल देय संक्रमण रू0 333,25.07 लाख (रू0 तीन सौ तैंतीस करोड़ पच्चीस लाख सात हजार मात्र) में से तालिका के कॉलम–4 में अंकित कुल रू0 3,28.90 लाख (रू0 तीन करोड़ अट्ठाईस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत कटौती) तथा कॉलम–5 में अंकित कुल रू0 329,96.17 लाख (रू0 तीन सौ उन्नतीस करोड़ छियानब्बें लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, संलग्नक–1) संबंधित निकायों को संक्रमित करने, इस प्रकार कुल रू. 333,25.07 लाख (रू0 तीन सौ तैंतीस करोड़ पच्चीस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(रू0 हजार में)

क.सं.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु कुल देय	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1%	निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि (3–4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	नगर निगमें	1504607	15046	1489561
2-	नगर पालिका परिषदें	1439581	14369	1425212
3-	नगर पंचायतें	388319	3475	384844
	योग	**3332507**	**32890**	**3299617**

टिप्पणीः– (1) आंकड़ें पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही हैः–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संक्रमित की जा रही है।
2. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/ (वि.आ.निदे.) xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
3. संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यो एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथाः– कूडा

File No. FCD-IRFC/FSFC/5/2024-FCD-Finance Department (Computer No. 71892)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 10/07/2025 10:10 am

वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन क्रय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः–जीप और स्टॉफ कार कदापि क्रय नहीं किये जायेगें।

4. वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के पत्र संख्याः 36/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांकः 03.04. 2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की जानी है।

5. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।

6. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष रू0 1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में रू0 1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से रू0 50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप, इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।

7. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संक्रमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राज्य के वास्तविक निज कर राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि या कमी होने पर स्थानीय निकायों को संक्रमित धनराशि की पुनर्गणना की जायेगी तद्नुसार ही संक्रमण धनराशि का समायोजन किया जायेगा। वास्तविक निज कर राजस्व प्राप्तियों के आंकडें महालेखाकार से प्राप्त किये जायेंगे।

9. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में तथा समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को संक्रमित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।

10. नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संक्रमित की जायेगी।

11. नव गठित नगर पंचायत–नन्दानगर, गढ़ीनेगी, मुनस्यारी, पाटी एवं गुप्तकाशी को सहायता अनुदान की देय राशि अनुशंसित सूत्र या सहायता अनुदान में शामिल नहीं किया गया है, उनके संबंधित समूहों को स्वीकार्य कुल हस्तांतरण से ऐसी धनराशि की कटौती की गई है।

12. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांकः 30 सितम्बर, 2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।

13. संकमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।
14. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।
16. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय की अनुदान संख्याः 07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संकमित धनराशि (रू0हजार में)
1-	नगर निगमें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–01–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन।	1504607
2-	नगर पालिका परिषदें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–02–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन।	1439581
3-	नगर पंचायतें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–03–नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन।	388319
योग			3332507

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
HIMANSHU KHURANA
Date: 07-07-2025
12:16:28

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः 311903 /71892/FCD-IRFC/FSFC/5/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेज़री, 23—लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. संबंधित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी—नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. शहरी विकास अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संलग्नक–1 (निकायवार विवरण)

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का विवरण।

(धनराशि हजार रू0 में)

जनपद का नाम	क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु देय संक्रमण	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती (1%)	निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि (4-5)	योग (5+6)
(1)	(2)	(3)	(04)	(05)	(06)	(07)
(1) नगर निगम						
देहरादून	1	देहरादून	506725	5067	501658	506725
	2	ऋषिकेश	68902	689	68213	68902
हरिद्वार	3	हरिद्वार	149312	1493	147819	149312
	4	रुड़की	122162	1222	120940	122162
नैनीताल	5	हल्द्वानी	156659	1567	155092	156659
पौड़ी गढ़वाल	6	कोटद्वार	98311	983	97328	98311
	7	श्रीनगर (उच्चीकृत)	45113	451	44662	45113
उद्यमसिंह नगर	8	काशीपुर	110196	1102	109094	110196
	9	रुद्रपुर	122734	1227	121507	122734
अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा (उच्चीकृत)	52264	523	51741	52264
पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़ (उच्चीकृत)	72229	722	71507	72229
योग (1) नगर निगम		योग	**1504607**	**15046**	**1489561**	**1504607**
(2) नगर पालिका परिषदें						
अल्मोड़ा	1	रानीखेत –चिनियानौला	18044	180	17864	18044
बागेश्वर	2	बागेश्वर	37240	372	36868	37240
चमोली	3	गोपेश्वर	35836	358	35478	35836
	4	जोशीमठ	40726	407	40319	40726
	5	गौचर	24057	241	23816	24057
	6	कर्णप्रयाग	22410	224	22186	22410
चम्पावत	7	चम्पावत	23759	238	23521	23759
	8	टनकपुर	26754	268	26486	26754
	9	लोहाघाट (उच्चीकृत)	12162	122	12040	12162
देहरादून	10	मसूरी	86844	868	85976	86844
	11	विकासनगर	33889	339	33550	33889
	12	डोईवाला	65458	655	64803	65458
	13	हरबर्टपुर	18576	186	18390	18576
हरिद्वार	14	मंगलौर	56303	563	55740	56303
	15	लक्सर	30758	308	30450	30758
	16	शिवालिक नगर	39527	395	39132	39527
नैनीताल	17	नैनीताल	63129	631	62498	63129
	18	रामनगर	63813	638	63175	63813
	19	भवाली	20742	207	20535	20742
	20	कालाढूँगी (उच्चीकृत)	12530	125	12405	12530

पौड़ी गढ़वाल	21	दुगड्डा	18683	187	18496	18683
	22	पौड़ी	47261	473	46788	47261
	23	धारचूला	23625	236	23389	23625
	24	डीडीहाट	23625	236	23389	23625
	25	गंगोलीहाट (उच्चीकृत)	8239	82	8157	8239
	26	बेरीनाग (उच्चीकृत)	8752	88	8664	8752
रुद्रप्रयाग	27	रुद्रप्रयाग	25540	255	25285	25540
टिहरी	28	नरेंद्रनगर	16077	161	15916	16077
	29	टिहरी	41240	412	40828	41240
	30	मुनि की रेती ढालवाला	39240	392	38848	39240
	31	चम्बा	16413	164	16249	16413
	32	देवप्रयाग	23872	239	23633	23872
ऊधम सिंह नगर	33	बाजपुर	36325	363	35962	36325
	34	गदरपुर	28447	284	28163	28447
	35	जसपुर	59368	594	58774	59368
	36	खटीमा	62339	623	61716	62339
	37	किच्छा	81189	812	80377	81189
	38	सितारगंज	38404	384	38020	38404
	39	महुआखेड़ागंज	18408	184	18224	18408
उत्तरकाशी	40	उत्तरकाशी	42657	427	42230	42657
	41	बड़कोट	22410	224	22186	22410
	42	चिन्यालीसौड़	22410	224	22186	22410
योग (2)			**1437081**	**14369**	**1422712**	**1437081**
(3) नगर पालिका परिषद (नव सृजित)						
ऊधम सिंह नगर	43	नगला	2500	0	2500	2500
योग (3)			**2500**	**0**	**2500**	**2500**
योग– नगर पालिका परिषदें **(2+3)**			**1439581**	**14369**	**1425212**	**1439581**
(4) नगर पंचायतें						
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	6527	65	6462	6527
	2	भिकियासैंण	5812	58	5754	5812
	3	चौखुटिया	5812	58	5754	5812
बागेश्वर	4	कपकोट	5432	54	5378	5432
चमोली	5	नन्दप्रयाग	8214	82	8132	8214
	6	पोखरी	8178	82	8096	8178
	7	थराली	5044	50	4994	5044
	8	पीपलकोटी	8717	87	8630	8717
	9	गैरसैंण	9917	99	9818	9917
चम्पावत	10	बनबसा	5890	59	5831	5890
हरिद्वार	11	झबरेड़ा	19213	192	19021	19213
	12	लंढौर	24047	240	23807	24047
	13	भगवानपुर	15144	151	14993	15144
	14	पिरान कलियर	17027	170	16857	17027

नैनीताल	15	लालकुआँ	12462	125	12337	12462
	16	भीमताल	26583	266	26317	26583
पौड़ी गढ़वाल	17	स्वर्गाश्रम	14815	148	14667	14815
	18	सतपुली	6345	63	6282	6345
रुद्रप्रयाग	19	अगत्स्यमुनि	9415	94	9321	9415
	20	उखीमठ	8361	84	8277	8361
	21	तिलवाड़ा	5812	58	5754	5812
टिहरी	22	कीर्तिनगर	8432	84	8348	8432
	23	घनसाली	8479	85	8394	8479
	24	गजा	5523	55	5468	5523
	25	लम्बगांव	5812	58	5754	5812
	26	चमियाला	5827	58	5769	5827
ऊधम सिंह नगर	27	महुआडावरा	7864	79	7785	7864
	28	सुल्तानपुर	9608	96	9512	9608
	29	केलाखेड़ा	11681	117	11564	11681
	30	दिनेशपुर	12280	123	12157	12280
	31	शक्तिगढ़	9705	97	9608	9705
	32	नानकमत्ता	8091	81	8010	8091
	33	गूलरभोज	6665	67	6598	6665
उत्तरकाशी	34	पुरोला	12769	128	12641	12769
	35	नौगांव	6191	62	6129	6191
योग (4)			**347694**	**3475**	**344219**	**347694**
(5) नगर पंचायतें (नव सृजित)						
हरिद्वार	36	सुल्तानपुर–आदमपुर	2500	0	2500	2500
	37	पाडली गुर्जर	2500	0	2500	2500
	38	ढण्डेरा	2500	0	2500	2500
	39	रामपुर	2500	0	2500	2500
	40	इमलीखेड़ा	2500	0	2500	2500
टिहरी गढ़वाल	41	तपोवन	2500	0	2500	2500
चमोली	42	नन्दानगर (नव सृजित)	3125	0	3125	3125
पौड़ी गढ़वाल	43	थलीसैंण	2500	0	2500	2500
बागेश्वर	44	गरूड़	2500	0	2500	2500
उधमसिंह नगर	45	लालपुर	2500	0	2500	2500
	46	गढीनेगी (नव सृजित)	3125	0	3125	3125
पिथौरागढ़	47	मुनस्यारी (नव सृजित)	3125	0	3125	3125
चम्पावत	48	पाटी (नव सृजित)	3125	0	3125	3125
देहरादून	49	सेलाकुई	2500	0	2500	2500
रूद्रप्रयाग	50	गुप्तकाशी (नव सृजित)	3125	0	3125	3125
योग (5)			**40625**	**0**	**40625**	**40625**
योग नगर पंचायतें **(4+5)**			**388319**	**3475**	**384844**	**388319**
महायोग			**3332507**	**32890**	**3299617**	**3332507**

Digitally signed by HIMANSHU KHURANA
Date: 07-07-2025 12:17:04

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070128
आवंटन पत्र दिनांक-10-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	03-नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	388319000	388319000	385194000	776638000
योग	388319000	388319000	385194000	776638000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.38,83,19,000 (Rupees Thirty Eight Crores Eighty Three Lacs Nineteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0014
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070126
आवंटन पत्र दिनांक-10-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	01-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1504607000	1504607000	1504607000	3009214000
योग	1504607000	1504607000	1504607000	3009214000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,50,46,07,000 (Rupees One Hundred Fifty Crores Forty Six Lacs Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0012
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070127
आवंटन पत्र दिनांक-10-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	02-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1439581000	1439581000	1439581000	2879162000
योग	1439581000	1439581000	1439581000	2879162000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,43,95,81,000 (Rupees One Hundred Forty Three Crores Ninety Five Lacs Eighty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0013
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन